



राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
(यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुसार मानित विश्वविद्यालय)
17-बी, श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली-110016

एफ. नं. 14-11/2017-कार्मिक
दिनांक: 7 अगस्त, 2023

परिपत्र

विषय: नीपा में कार्यरत सभी कर्मचारियों की समय की पाबंदी और उपस्थिति के संबंध में

इसका संदर्भ पूर्व परिपत्र संख्या 14-7/2011- (अकाद) (विविध.) (वॉल्यूम IV) दिनांक 08.06.2023; क्रमांक 14-11/2017- (कार्मिक) (विविध) दिनांक 15.02.2017 और संख्या नीपा / प्रशासन / आरओ / परिपत्र / 2008 दिनांक 18.12.2008 से है, जहां सभी कर्मचारियों (संकाय सदस्यों / कर्मचारियों / परियोजना कर्मचारियों सहित) की जानकारी के लिए इसे दोहराया गया था कि संस्थान में कार्यालय समय प्रातः **09.00** बजे से सायं **05.30** बजे तक है।

इसलिए, सभी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त अवधि का गंभीरता से पालन करें और सुबह 09.00 बजे से शाम 05.30 बजे तक उचित कार्यालय शिष्टाचार बनाए रखने के लिए तदनुसार अपने-अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहें।

यदि आग्रह या आवश्यक कारणों से किसी को कुछ कार्य पूरा करने के लिए कार्यालय समय के बाद देर तक बैठना पड़ता है, तो उसे संबंधित प्रमुख / प्रभारी से अनुमति लेनी होगी और प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी) को लिखित रूप में या ई-मेल के माध्यम से सूचित करना होगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)

प्रति:

नीपा के सभी कर्मचारी

- (i) संकाय, समूह 'ए' अधिकारी और गैर-शिक्षण कर्मचारी
- (ii) ग्रुप 'बी' और ग्रुप 'सी' कर्मचारी
- (iii) सभी परियोजना कर्मचारी

प्रतिलिपि :

1. सभी विभागों/अनुभागों/इकाइयों के विभागाध्यक्ष - उनके कर्मचारियों/परियोजना कर्मचारियों के बीच वितरण के लिए
2. कुलपति की वरिष्ठ निजी सचिव - माननीय कुलपति की जानकारी के लिए
3. कुलसचिव की निजी सहायक - जानकारी के लिए
4. वित्त अधिकारी
5. प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)
6. आंतरिक लेखा परीक्षक
7. प्रणाली विश्लेषक - संस्थान की वेबसाइट पर परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध के साथ
8. मास्टर फ़ाइल